राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लाजवन्ती बनाम ओमप्रकाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 11/05/2026 को पेश हो।	
11/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीया/वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीया एवं प्रतिवादीगण स्व. समरिया के वारिसान है, स्व. समरिया की खातेदारी भूमि वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, जिसका खाता संख्या 153 खसरा नम्बर 8, 12, 13, 60/579, 68/578 कुल किता 5 कुल रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा जिसमे वादीया का 1/48 हिस्सा है एवं खाता संख्या 49 खसरा नम्बर 276 व 398 कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा जिसमे वादीया का 1/24 हिस्सा है तथा खाता संख्या 124 खसरा संख्या 152, 156, 167, 163 कुल किता 4 कुल रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा जिसमे वादीया का 1/72 हिस्सा है एवं खाता संख्या 39 खसरा संख्या 154, 158, 159, 162 कुल किता 4 कुल रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा जिसमे वादीया का 1/14 हिस्सा निहित है, वाद पत्र मे सजरा खानदान अंकित करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजीयात है जिसमे वादीया का जन्मजात हिस्सा बनता है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 5 सम्पूर्ण आराजी को विक्रय करने की फिराक मे है, पूर्व मे भी प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने नाम दर्ज भूमि को वास्तु रिसोर्टस प्रा. लि. कम्पनी को बेचान कर दी थी और अपनी पत्नि सीमादेवी के नाम अलग जमीन खरीद ली, ताकि वादीया को उसका हिस्सा नही मिल सके। वादीया को उसके हिस्से से महरूम रखने की नियत से प्रतिवादी संख्या 5 शेष बची सम्पूर्ण आराजीयात को विक्रय करने की फिराक मे है, प्रतिवादी संख्या 5 जो कि आदतन शराबी है तथा अपने वारिसान को उनके हिस्से से महरूम रखने की योजना भू माफियाओ के सहयोग से बना रखी है, जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व. समरिया की आराजीयात मे वादीया का मुताबिक दर्ज हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 के दर्ज हिस्से मे 1/6 हिस्सा निहित है, उक्त कथनो के साथ अन्य कथन अंकित करते हुए वाद वादीया डिक्री किए जाने का निवेदन किया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लाजवन्ती बनाम ओमप्रकाश 434/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 5 की और से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि वाद के पक्षकार मीणा जाति से है जो कि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते है | कानूनन अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी पुत्रीयो का कोई हक़ नही होता है | कानूनन केवल पुत्र ही अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी होते है | जब पुत्रियों का अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की आराजी में कोई हक़ ही नही होता है तो वादिनी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद बार्ड बांय लॉ होने के कारण ख़ारिज किये जाने योग्य है | जिसके पश्चात अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब पेश किया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. पर समायत कर निर्णय दिनांक 14/06/2022 पारित करते हुये प्रार्थी/प्रतिवादी सख्या 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार कर वादिया का वाद विधि द्वारा वर्जित होना धारित कर ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर वाद को ख़ारिज कर दिया गया, जबकी विचाराधीन वाद घोषणा का है एवं कानूनन घोषणा का बिन्दु तनकीयात कायम कर साक्ष्य-सबूतों को तनकीवार विवेचित करते हुये तय किया जाना आवश्यक होता है, परन्तु ऐसा नही कर प्रारम्भिक स्तर पर ही घोषणा के वाद को सरसरी तौर पर ख़ारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित किया जाना प्रकट होता है | ऐसी स्थिति में तनकीवार साक्ष्य-सबूत को विवेचित करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है |

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	434/2022 लाजवन्ती बनाम ओमप्रकाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 14/06/2022 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये बाद सुनवाई पक्षकारान साक्ष्य-सबूतों को तनकीवार विवेचित करते हुये गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वाद को निस्तारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	